23.12.2023

आवेदिका द्वारा श्री सी.एस.जोशी अधिवक्ता उप.।

अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण अनावेदक की उपस्थिति एवं एसेट की जानकारी प्रस्तुति हेतु नियत।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि आवेदिका द्वारा यह प्रकरण वर्ष 2020 में प्रस्तुत किये जाने के उपरांत करीब तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक तलवाना पेश नहीं किया गया उसके उपरांत आवेदिका की ओर से दिनांक 11.05.2023 की पेशी तारीख के लिये मात्र एक बार तलवाना पेश किया गया उसके पश्चात से वर्तमान तक तलवाना पेश नहीं किया है विगत पेशी तारीख को भी न्यायालय द्वारा आवेदिका को तलवाना एवं एसेट की जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरांत भी आज की पेशी तारीख के लिये तलवाना शुल्क प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही एसेट की जानकारी प्रस्तुत की है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका प्रकरण को चलाने हेतु इच्छुक नहीं है। आवेदिका द्वारा प्रकरण प्रस्तुत कर देने के बाद उसमें किसी प्रकार की प्रगति की जाना अभिलेख से दर्शित नहीं है।

अतः यह प्रकरण तलवाना प्रस्तुति के अभाव एवं एसेट की जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार संचित किया जाये।

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर, (म0प्र0)